# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## आज्ञा-पत्र

उनवान नितेश कुमार बनाम धनराज

किस्म मुकदमा धारा - 225 अपील संख्या 2025/96

अभिभाषक अपीलान्ट श्री धूरीलाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री विजय सिंह 1 toy

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.3.26 | पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट उपस्थित। पत्रावली पर अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। अभि. अपीलांट द्वारा दस्तावेज (धारा 251 में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल) पेश करने हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते अग्रिम बहस हेतु दिनांक 17.4.26 को पेश हो।<br>(दीप्ति सम्पूर्णचन्द्र मीना)<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन<br>राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा | |
| 17.4.26 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर पत्रावली नोटप्रेस में खारिज किये जाने का निवेदन किया। अभि. अपीलांट द्वारा आदेशिका पे 'नोटप्रेस' अंकित कर अपने हस्ताक्षर भी किये। अभि. अपीलांट द्वारा 'नोटप्रेस' किये जाने के निवेदन को स्वीकार किया जाकर पत्रावली नोटप्रेस में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>(दीप्ति सम्पूर्णचन्द्र मीना)<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन<br>राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा | Not Press<br>17.4.26 |

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * कोटा * सत्यमेव जयते

## न्यायालयः– भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील / टी0ए0 / झालावाड़ /      / 2025

1– नितेश कुमार (पंकज) पुत्र रामकरण

2– संजय कुमार पुत्र रामकरण समस्त जाति मीणा निवासीगण सालरी तहसील रायपुर जिला झालावाड़ राजस्थान

––अपीलार्थीगण

बनाम

1– धनराज पुत्र रामचन्द्र

2– श्रीराम पुत्र गोपी जी

3– नन्दलाल पुत्र भागीरथ

4– कमलाबाई बेवा भागीरथ समस्त जाति मीणा निवासीगण सालरी तहसील रायपुर जिला झालावाड़ राजस्थान

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड़ राजस्थान

––प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा राजस्व प्रार्थनापत्र 93 / 2024 शीर्षक धनराज बनाम नितेश निर्णय दिनांक 28.4.25 अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मान्यवर ,

निवेदन है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण / प्रत्यर्थी संख्या 1–4 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र अस्थायी व्यादेश प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1–2 / अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर उसमें प्रकथन किए थे जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में दर्ज भूमि नकल जमाबंदी ग्राम सालरी तहसील रायपुर जिला झालावाड़ राजस्थान में स्थित राजस्व भूमि खसरा संख्या 825 क्षेत्रफल 1.1002 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के खाते में दर्ज है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1–2 को अस्थायी व्यादेश से पाबंद किया जावे, अप्रार्थी संख्या 1–2 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को विरोध करते हुए जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था कि अप्रार्थी संख्या 1–2 अपने आराजी खसरा नम्बर 827 पर अपने बाप–दादा के जमाने, 50 वर्षो से अधिक समय से गॉव से जो रास्ता सरकारी है उससे होकर खसरा नम्बर 825 पर जो रास्ता बना हुआ है उससे होकर खसरा नम्बर 827 पर पहुँचते है। खसरा नम्बर 826 वाला भी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता है व सामने लालचन्द मीणा का जो मकान बना हुआ